रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 173] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 1984/ज्येष्ठ 3, 1906
No. 173] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 1984/JYAISTHA 3, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 1984

सं० 123/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 396(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना

सं० 20/84 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1984 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में,—

(i) क्रम सं० 1 के सामने, स्तम्भ (3) में, "3.50-8", अंकों के स्थान पर "3.50-8, 3.00-10" अंक रखे जाएंगे;

(ii) क्रम सं० 3 के सामने, स्तम्भ (3) में, "4.00-8" अंकों के स्थान पर "4.00-8, 4.50-8" अंक रखे जायेंगे; और

(iii) क्रम सं० 5 के सामने, मद ख में, स्तम्भ (3) और (4) में की उपमद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपमद और प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात :—

(3)	(4)
"6.70-15 और 7.00-15	
(क) रेयन टायर	300.00
(ख) नायलन टायर	360.00
(ग) रेडियल टायर	360.00"।

[फा०सं० बी 26/1/84-टी आर यू]

के० एस० वेंकटेगिरि, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 1984

No. 123/84—Central Excises

G.S R. 396(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the

Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 20/84—Wentral Excises, dated the 1st March, 1984, namely:—

In the Table annexed to the said notification,—

(i) against S. No. 1, in column (3), for the figures "3.50–8", the figures "3.50–8, 3.00–10" shall be substituted;

(ii) against S.No. 3, in column (3), for the figures "4 00–8", the figures "4.00–8, 4.50–8" shall be substituted; and

(iii) against S.No. 5, in Item B, for sub-item (i) and the entries relating thereto in columns (3) and (4), the following sub-item and entries shall be substituted, namely:—

(3)	(4)
"(i) 6.70–15 and 7.00–15—	
(a) Rayon tyres	300.00
(b) Nylon tyres	360.00
(c) Radial tyres	360.00".

[F.No.B.26/1/84-TRU]

K. S. VENKATAGIRI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984